सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वादपत्र स0 160/2018

रमेश पुत्र श्योकरण खाती निवासी देवगांव तहसील केकड़ी जिला अजमेर

---वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर

----प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राज. भू—राजस्व अधि.

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आरएएस)

निर्णय

दिनांक 08.06.2018

पत्रावली आज लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 केम्प देवगांव में पेश हुई। वादी /प्रतिवादी उपस्थित । उभयपक्षों को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादी ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 भू—राजस्व अधि. के तहत मय दस्तावेज पेशकर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी वाके **ग्राम देवगांव के जमाबन्दी संवत 2073—76 के खाता संख्या 839 में वादी के पिता का नाम श्योकरण के स्थान पर श्योनारायण दर्ज है जबकि मेरे पिता का वास्तविक नाम श्योकरण है। अतः उक्त खाता संख्या 839 में दुरूस्त करवाकर रमेश पुत्र श्योकरण जाति खाती दर्ज किया जावे।**

हमने वादी का वादपत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। जवाब सरकार की ओर तहसीलदार केकड़ी से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वादग्रस्त आराजी वाके **ग्राम देवगांव के जमाबन्दी संवत 2073—76 के खाता संख्या 839 में वादी के पिता का नाम श्योकरण के स्थान पर श्योनारायण दर्ज है जबकि मेरे पिता का वास्तविक नाम श्योकरण है। अतः उक्त खाता संख्या 839 में दुरूस्त करवाकर रमेश पुत्र श्योकरण जाति खाती दर्ज किया जाना उचित है।**

हमने वादपत्र का अवलोकन किया साथ ही तहसीलदार केकडी भू.अभि.निरी. व पटवारी हल्का देवगांव की रिपोर्ट का अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी वाके **ग्राम देवगांव के जमाबन्दी संवत 2073—76 के खाता संख्या 839 में वादी के पिता का नाम श्योकरण के स्थान पर श्योनारायण दर्ज है जबकि मेरे पिता का वास्तविक नाम श्योकरण है। अतः उक्त खाता संख्या 839 में दुरूस्त करवाकर रमेश पुत्र श्योकरण जाति खाती दर्ज** का अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है। यदि किसी न्यायालय में कोई आपारधिक वाद या जांच **रमेश पुत्र श्योकरण** के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का वादी का **रमेश पुत्र श्योकरण** के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिये भी **रमेश पुत्र श्योकरण** नाम ही प्रभावी माना जावेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार **केकडी** को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 08.6.2018 को केम्पकोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प देवगांव में मज में आम में सुनाया गया व पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे एंव उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी